Mob. 9470488464
E-Mail- nagarparishadmotihari@gmail.com

# कार्यालय नगर परिषद् मोतिहारी

पत्रांक .......................

S.S (UDM)

31 JAN 2019
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

प्रेषक : कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मोतिहारी ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
बिहार, पटना ।
(स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा)

विषयः अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 686/2013–14 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित समर्पित करने के सम्बन्ध में ।

दिनांक ................. मोतिहारी

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के सम्बन्ध में सादर कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 686/2013–14 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है ।

अतः सादर अनुरोध है कि समर्पित की जा रही अनुपालन प्रतिवेदन के कंडिकाओं को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नकः यथोक्त् ।

विश्वासभाजन

ह0-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद मोतिहारी

ज्ञापांक 200 दिनांक 29/1/19
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित् ।

29/01/19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद मोतिहारी

31 JAN 2019
12.29

(A. 599)

# कार्यालय नगर परिषद् मोतिहारी

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 686 / 2013–14 लेखा वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक

| क्र० सं० | कंडिका सं० | अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | अनुपालन प्रतिवेदन |
|---|---|---|---|

## भाग– ii (ख)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | विशिष्ट अनुदान का निचलन रू0 5.05 करोड़ | |
| 2 | i | मैचिंग ग्रान्ट | मैचिंग ग्रान्ट मद में सरकार से सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभ, न्यायालय द्वारा पारित जयघोष की राशि एवं बकाये विधुत विपत्रों के भुगतान में प्राथमिकता देते हुए शेष राशि से अन्य कार्यों का क्रियान्वयन करने हेतु इस कार्यालय को मो0– 4,13,84,578.00 रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था । चुँकि परिषद में उस समय किसी प्रकार का भी न्यायालय द्वारा पारित जयघोष की राशि एवं सेवान्त लाभ का कोई भी बकाया राशि का भुगतान लम्बित नहीं थी । इसलिए परिषद बोर्ड की बैठक दिनांक– 21.04.2011 के प्रस्ताव सं0– 1 के द्वारा यह संकल्प लिया गया कि जनहित में आम नागरिकों के आवागमन के लिए परिषद क्षेत्र में जितनी भी कच्ची सड़कें हैं उन्हें कम से कम प्रथम चरण में ईंट सोलिंग कराया जाय ताकि आम नागरिकों को बरसात के समय आवागमन करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े ।<br>विदित हो कि सरकार के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में उपरोक्त सम्बन्धित मदों में आवंटित राशि का व्यय करने के उपरान्त अवशेष राशि मो0– 3,51,87,565.00 रूपये का उपयोग परिषद बोर्ड के द्वारा लिए गए संकल्प के आलोक में नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत कच्ची पथों को पक्कीकरण कराने हेतु ली गयी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु व्यय किया गया है । जो कि राशि का विचलन नहीं है क्योंकि परिषद के द्वारा अवशेष राशि का हीं उपयोग किया गया है ।<br>अगर परिषद के जिम्मे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित जयघोष एवं सेवान्त लाभ का राशि भुगतान हेतु लम्बित होता तो परिषद के द्वारा सर्वप्रथम जयघोष एवं सेवान्त लाभ के बकाया राशि का हीं भुगतान किया जाता । ज्ञातब्य हो कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना एवं उर्जा विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपसी सामंजस्य स्थापित कर बकाये विधुत विपत्रों की राशि का भुगतान सरकार स्तर से हीं पत्रांक– 5784 दिनांक– 24.11.15 के द्वारा कर दिया गया है, जिसके उपरान्त परिषद के द्वारा नियमित रूप से विधुत विपत्रों की राशि का भुगतान ससमय विधुत विभाग को कर दी जाती है तथा वर्त्तमान में भी परिषद के पास विधुत विपत्र के रूप में कोई भी बकाया राशि का भुगतान हेतु लम्बित नहीं है । (सुलभ प्रसंग हेतु बोर्ड की कार्यवाही पंजी एवं नगर विकास, बिहार, पटना के पत्रांक– 5784 दि0– 24..11.15 के पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | ii | तेरहवीं वित्त आयोग | (1) तेरहवें वित्त आयोग योजना मद के घटक सं0– (i) ठोस अवशिष्ट प्रबंधन घटक की राशि से परिषद के द्वारा कूड़ा घर का निर्माण कार्य कराया गया था । विदित हो कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत कुड़ा–कचरा का रख–रखाव एवं संग्रहण का भी कार्य किया जाना अनिवार्य है । ऐसी परिस्थिति में कुड़ा–कचरा यत्रतत्र नहीं फेंका जाय, जिसे एक स्थान पर हीं संग्रहित कर रखा जा सके । इसलिए परिषद के द्वारा कुड़ा घर का निर्माण कार्य कराया गया था जो कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन घटक का हीं एक अंग है ।<br>(2) परिषद के द्वारा रौशनी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सी0एल0एफ0 भेपर लाईट का क्रय कर नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत सभी विधुत पोलों पर सी0एल0एफ0 भेपर लाईट का अधिष्ठापन कराया गया था । जोकि तेरहवें वित्त आयोग में सरकार के संकल्प के घटक (ii) के अन्दर हीं आता है ।<br>(3) परिषद बोर्ड के द्वारा दिये गये स्वीकृति के आलोक में जनहित् में पानी की निकासी की समस्या के निष्पादन हेतु अति आवश्यक स्थलों पर जनहित में नालों का निर्माण कार्य कराया गया था ।<br>विदित हो कि इसी संदर्भ में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक– 3253 दिनांक– 27.10.14 के द्वारा तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि के व्यय हेतु पूर्व में निर्गत प्रावधानों में निम्नलिखित प्रावधानों को संशोधित किया गया हैं :–<br>(i) ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन– उपकरणों के क्रय, उपकरणों को रखने हेतु शेड के निर्माण, सफाई हेतु मजदूरी के भुगतान, ट्रेक्टर के भाड़ा भुगतान, Out Sourcing के माध्यम से सफाई हेतु एजेंसी के भुगतान आदि पर 40–50 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाये ।<br>(ii) जलापूर्ति– पाईप जलापूर्ति, Submersible Pump के माध्यम से जलापूर्ति तथा चापाकल के माध्यम से जलापूर्ति पर 10–20 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाये ।<br>(iii) स्ट्रीट लाईट– हाई मास्ट लाईट/स्ट्रीट लाईट लगाने, उसके रख–रखाव तथा बिजली बिल के भुगतान पर 10 प्रतिशत तक राशि का व्यय किया जाये ।<br>(iv) रैन बसेरा– रैन बसेरा / Old Age Home के निर्माण एवं रख–रखाव पर 10–20 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाये ।<br>(v) नाला निर्माण– नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण पर 10–20 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाये ।<br>ज्ञातब्य हो कि परिषद बोर्ड के द्वारा दिए गए स्वीकृति के आलोक में हीं परिषद के द्वारा तेरहवें वित्त आयोग योजना मद की राशि से क्रियान्वित की गयी कार्य जैसे– कुड़ा–कचरा संग्रहण हेतु निर्माण करायी गयी कूड़ा घर, रौशनी के व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अधिष्ठापित करायी गयी सी0एल0एफ0 भेपर लाईट का अधिष्ठापन एवं नालों का निर्माण मद में इस कार्यालय के द्वारा व्यय की गयी कुल राशि मो0– 88,79,191.00 रूपये सरकार के द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुसार राशि का विचलन नहीं किया गया है । (सुलभ प्रसंग हेतु न0वि0आ0वि0 बिहार पटना के पत्रांक– 3253 दि0– 27.10.17 का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | iii | चतुर्थ राज्य वित्त आयोग | (1) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 3886 दिनांक– 30.10.12 के द्वारा यह स्वीकृति दी गयी है कि "यदि आपके स्थानीय शहरी निकाय में उच्च प्राथमिकता के उपर्युक्त प्रक्षेत्र सं0– 1 "हाथ से मल ढ़ोने की व्यवस्था को समाप्त करना" में कर्णाकित राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है, चूँकि आपके निकाय में पूर्व में हीं यह व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, तब वैसी स्थिति में उपर्युक्त अंकित शेष 5 प्रक्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राशि का व्यय किया जा सकता है । इसके लिए निकाय के बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होगी" । इसी संदर्भ में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक– 120 दिनांक– 17.01.14 के द्वारा यह स्वीकृति दी गयी है कि "हाथ से मल ढ़ोने की व्यवस्था को समाप्त करने से सम्बन्धित मद में कर्णाकित राशि से नगरीय सड़क–सह–नाला निर्माण कराया जा सकता है" ।<br>(2) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 2072 दिनांक– 17.07.14 के द्वारा यह स्वीकृति दी गयी है कि "असंबद्ध अनुदान की राशि के उपयोग के सम्बन्ध में किसी विशेष मद में व्यय करने की बाध्यता नहीं है । अतः वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में कहना है कि राज्य के सभी नगर निकाय सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करते हुए असंबद्ध अनुदान की राशि का व्यय जनहित के कार्य में कर सकते हैं" ।<br>(3) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 5517 दिनांक– 03.11.15 के द्वारा यह स्वीकृति दी गयी है कि "चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर आवंटित राशि में से वेतन/पेंशन मद के बचत की राशि को सम्बन्धित नगर निकाय अपने आंतरिक संसाधन के रूप में पी0एल0 खाता में अंतरित कर दें । उक्त बचत की राशि को नगर निकाय आवश्यकतानुसार विकास मद में व्यय करें अथवा विशेष अवसरों पर सफाई एवं अन्य कार्यों के लिए व्यय करें । इसके लिए सम्बन्धित नगर निकाय अपने बोर्ड की सहमति से निर्णय ले सकते हैं" ।<br>अतएव सरकार के द्वारा उपरोक्त दिये गये स्वीकृति के अनुसार परिषद के द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना मद से क्रियान्वित की गयी योजनाओं में कुल व्यय की गयी राशि मो0– 1,04,74,625.00 रूपये का व्यय सरकार के द्वारा समय–समय पर दिये गये उपरोक्त निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुसार ही किया गया है । अतएव सरकार के द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार उक्त कार्य में व्यय की गयी राशि का विचलन नहीं है । (सुलभ प्रसंग हेतु न0वि0 एवं आ0वि0 बिहार पटना के पत्रांक– 3886 दि0– 30.10.12, ज्ञापांक– 120 दि0– 17.01.14, पत्रांक– 2072 दि0– 17.07.14 एवं पत्रांक– 5517 दि0– 03.11.15 का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | व्यपगत अनुदान रू0 21.34 लाख | नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं0– 65 दिनांक– 30.03.2012 के द्वारा पेयजलापूर्ति योजना मद में मो0– 13,33,320.00 रूपये एवं स्वीकृत्यादेश सं0– 108 दिनांक– 12.03.2013 के द्वारा पथ के निर्माण जीर्णोद्धार योजना मद में मो0– 50,04,433.00 रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था । पथ निर्माण योजना मद में कुल आवंटित राशि में से मो0– 42,03,724.00 रूपये का निकासी इस कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले कर ली गयी थी । पथ निर्माण योजना की शेष राशि मो0– 8,00,709.00 रूपये एवं जलापूर्ति योजना की कुल राशि मो0– 13,33,320.00 रूपये की निकासी नहीं किया जा सका था । उपरोक्त अनिकासी की गयी राशि की प्रत्यार्पित सूचना अविलम्ब सरकार को इस कार्यालय के पत्रांक– 669 दिनांक– 31.03.2012 एवं पत्रांक– 422 दिनांक– 31.03.2013 को भेज दी गयी थी । साथ हीं उक्त प्रत्यार्पित की गयी राशि को पुनः इस कार्यालय को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु सरकार को अनुरोध पत्र भी भेजा गया था । विदित हो कि मोतिहारी नगर परिषद अम्रृत योजना में चयनित होने के कारण पेयजलापूर्ति योजना का पूरे शहर का कार्य बिहार राज्य जल पर्षद, पटना के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।<br><br>जिसके लिए सरकार के द्वारा पेयजलापूर्ति योजना मद में राशि का आवंटन परिषद को उपलब्ध करायी जा रही है। (सुलभ प्रसंग हेतु परिषद के द्वारा राशि का प्रत्यार्पित होने एवं उक्त राशि का पुनः आवंटन उपलब्ध कराने हेतु भेजी गयी पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 6 | 3 (क) | कम जमा/नहीं जमा | कम जमा राशि मो0– 6,773.00 रूपये को नगर परिषद मोतिहारी कार्यालय के विविध रसीद सं0– 12383 दिनांक– 25.01.2019 के द्वारा मो0– 6,673.00 रूपये एवं रसीद सं0– 12384 दिनांक– 25.01.2019 के द्वारा मो0– 100.00 रूपये कुल मो0– 6,773.00 रूपये वसूलीकर्त्ताओं के द्वारा परिषद कोष में जमा करा दी गयी है । उक्त जमा की गयी राशि को दिनांक– 29.01.2019 को कोषागार चलान के द्वारा कोषागार खाता में जमा करा दी गयी है । (सुलभ प्रसंग हेतु विविध रसीद, चलान की प्रति एवं रोकड़पाल रोकड़बही की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जा रही है)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 7 | 3 (ख) | विविध रसीद | विविध रसीद बही से वसूली कर कम जमा की गयी राशि मो0– 21,950.00 रूपये को अंकेक्षण दल के समक्ष हीं दिनांक– 08.06.2017 एवं 17.06.2013 को सभी वसूलीकर्त्ताओं के द्वारा परिषद कोष में जमा करा दिया गया था । जिसको अंकेक्षण दल के द्वारा भी अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है साथ ही अंकेक्षण प्रतिवेदन साथ संलग्न विवरणी सं0– 7 पर भी कम जमा राशि एवं जमा राशि की विवरणी अंकेक्षण दल के द्वारा अंकित किया गया है । (सुलभ प्रसंग हेतु अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका 3 (ख) के आपत्ति एवं अंकेक्षण दल के द्वारा तैयार की गयी विवरणी सं0– 7 का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 8 | 3 (ग) | दैनिक संग्रह पंजी के मिलान में कम पायी गयी राशि | विरेन्द्र सिंह, तहसीलदार के द्वारा चेक सं0– 055664 दिनांक– 20.03.2012 की राशि मो0– 7,974.87 रूपये को नगर परिषद कोष के कोषागार खाता में दिनांक– 27.03.2012 को जमा करा दी गयी थी, तथा परिषद के द्वारा उक्त जमा की गयी राशि को रोकड़पंजी के पृष्ट सं0– 88 में दर्ज भी किया गया है । साथ ही उक्त जमा राशि कोषागार पासबुक में भी अंकित है । (सुलभ प्रसंग हेतु रोकड़पाल रोकड़बही एवं कोषागार पासबुक की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 4 | **सैरात बन्दोबस्ती में अनियमितताऐं** | (1) वित्तीय वर्ष 2011–12 में मालवाहक वाहनों से पार्किंग शुल्क की वसूली में मुद्रांक शुल्क की राशि मो0– 64,275.00 रूपये की वसूली हेतु बन्दोबस्तधारी रमेश प्रसाद यादव, पिता– रामएकबाल राय, ग्राम– गोखूला, पूर्वी चम्पारण एवं 2012–13 में मुद्रांक शुल्क के राशि मो0– 73,965.00 रूपये के वसूली हेतु बन्दोबस्तधारी श्री प्रवीण कुमार, पिता– रामेश्वर सिंह, ग्रुम– मुर्तिया, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध निलाम–पत्र वाद दायर की गयी है । (सुलभ प्रसंग हेतु दायर निलाम पत्र वाद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय ।<br><br>(2) वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राईवेट बस स्टैण्ड की कम जमा राशि मो0– 5,00,000.00 रूपये तथा मुद्रांक शुल्क की राशि मो0– 55,320.00 रूपये कुल मो0– 5,55,320.00 रूपये की वसूली हेतु बन्दोबस्तधारी राजकुमार प्रसाद, पिता– इश्वरी प्रसाद साह, ग्राम– राजारामपुल, तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण, वित्तीय वर्ष 2011–12 में साईकिल रिक्शा, ठेला की कम जमा राशि मो0– 40,000.00 रूपये के वसूली हेतु बन्दोबस्तधारी धनंजय कुमार, पिता– कृष्णकांत सिंह, ग्राम– शांतिपुरी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध निलामपत्र वाद दायर किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 में मालवाहक गाड़ियों से पार्किंग शुल्क की कम जमा राशि मो0– 12,27,500.00 रूपये की वसूली हेतु बन्दोबस्तधारी श्री प्रवीण कुमार, पिता– रामेश्वर सिंह, ग्राम– मुर्तिया, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए निलाम–पत्र वाद दायर कर दी गयी है । (सुलभ प्रसंग हेतु दायर की गयी प्राथमिकी एवं निलाम पत्र वाद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय ।<br><br>(3) वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में बकरी–खस्सी कीलखाना एवं मवेशी ढ़ाठ का बन्दोबस्ती विगत कई वर्षों से नहीं होने के कारण एवं उक्त सैरातों का उपयोगिता नहीं रहने के कारण विभागीय वसूली भी सम्भव नहीं था । अतः सशक्त स्थायी समिति, नगर परिषद मोतिहारी की बैठक दिनांक– 17.06.2016 के प्रस्ताव सं0– 4 में लिए गए निर्णय के आलोक में उक्त सैरातों को बन्दोबस्ती की सूची से हटा दिया गया है । (सुलभ प्रसंग हेतु सशक्त स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही बही एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में आमंत्रित की गयी बन्दोबस्ती आमंत्रण सूचना की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 10 | 5 | **दुकान किराया की माँग व वसूली** | वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का कुल बकाया दुकान किराया की राशि मो0– 7,03,176.00 रूपये में से अधिकांश बकाया दुकान किराये की राशि को इस कार्यालय के द्वारा वसूल कर ली गयी है । कुछ आंशिक बकायेदारों के द्वारा बकाया दुकान किराया की राशि परिषद कोष में जमा नहीं किये जाने के उपरान्त इस कार्यालय के द्वारा नोटिस भी निर्गत किया गया है अगर उनके द्वारा बकाया राशि परिषद कोष में जमा नहीं करायी जाती है तो दुकान का एकरारनामा को रद्द करते हुए दुकान को सील करते हुए बकाये राशि की वसूली हेतु निलाम–पत्र वाद दायर कर दी जायेगी । विदित हो कि अंकेक्षण दल के समक्ष वर्ष 2012–13 में धर्मसमाज रोड, लम्बोदर मुखर्जी वाली, उर्दू लाईब्रेरी दुकानों का माँग की स्थिति उपलब्ध नहीं करायी गयी थी । उक्त दुकानों का माँग पंजी इस कार्यालय के द्वारा तैयार कर ली गयी है । (सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अवधि की वसूल की गयी बकाये राशि का आंशिक रसीद, निर्गत की गयी आंशिक नोटिस एवं धर्मसमाज रोड, लम्बोदर मुखर्जी वाली, उर्दू लाईब्रेरी दुकानों की माँग पंजी की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 6 | **सेवाकर की राशि जमा नहीं 2.13 लाख** | परिषद के द्वारा दुकान किराया में सेवाकर की राशि प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । सेवाकर की राशि प्राप्त करके सम्बन्धित विभाग को जमा कराते हुए अगले अंकेक्षण दल के समक्ष जमा की गयी राशि की विवरणी प्रस्तुत कर दी जायेगी ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 12 | 7 | **मोबाईल संचार टावर पर बकाया शुल्क** | मोबाईल संचार टावर की बकाया राशि में से काफी राशि इस कार्यालय के द्वारा वसूली कर ली गयी है । शेष बकाया पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की वसूली के लिए इस कार्यालय के द्वारा मोबाईल संचार टावर कम्पनियों को नियमित रूप से नोटिस निर्गत किया जाता है । साथ ही दैनिक सामाचार पत्रों के माध्यम से भी मोबाईल संचार टावर कम्पनियों को सूचना दी गयी थी, तथा मोबाईल संचार टावर कम्पनियों को ससमय राशि नहीं जमा कराने पर मोबाईल टावरों को सील करने हेतु अद्यतन नोटिस भी इस कार्यालय के द्वारा निर्गत किया गया है । (सुलभ प्रसंग हेतु दैनिक समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन हेतु निर्गत कार्यालय नोटिस एवं कार्यालय के द्वारा निर्गत अद्यतन नोटिस की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 13 | 8 | **निधारित सेवानिवृति अवधि के बीत जाने के 47 माह पश्चात् सेवानिवृत करना एवं अनियमित भुगतान रू0– 2.38 लाख** | नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 955 दि0– 12.03.2007 द्वारा नगर निकाय कर्मियों की सेवा निवृति की उम्र 60 वर्ष निर्धारित किये जाने के पश्चात् अधिकतम सेवा अवधि के निर्धारण में 40 वर्ष की अधिकतम सेवा अवधि का सीमा को निष्प्रभावी कर दिया गया था । पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक– 2016 दिनांक– 19.04.2011 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के निकाय के कर्मी 60 वर्ष की उम्र अथवा 40 वर्ष की सेवा, दोनों में से जो पहले हो, तक हीं सेवा में रह सकते हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि बिहार सरकार द्वारा अधिकतम सेवा अवधि पर अपना रूख दिनांक– 19.04.11 को ही स्पष्ट किया गया है । सरकार के इस निर्णय के पूर्व अधिकतम सेवा अवधि की सीमा के सम्बन्ध में सरकार का उपरोक्त आदेश पत्रांक– 955 दिनांक– 12.03.07 ही प्रभावी था । सरकार का निर्णय पत्रांक– 2106 दि0– 19.04.11 की प्रति इस कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त हुआ था जिसके कारण श्री लालू राम की सेवानिवृति निर्धारित समय पर नहीं हो पायी थी । परन्तु सरकार के द्वारा उपरोक्त प्राप्त पत्र के आलोक में अविलम्ब हीं परिषद कार्यालय के द्वारा कर्मियों को जन्म तिथि से 60 वर्ष एवं सेवावधि के 40 वर्ष समाप्त होते ही सेवानिवृत करायी जा रही है । (सुलभ प्रसंग हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक– 955 दिनांक– 12.03.07 की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका अवलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 14 | 9 | निरस्त | निरस्त |
| 15 | 10 | योजना | अंकेक्षण दल के द्वारा आपत्ति की गयी कुल 44 योजनाओं में से 32 योजनओं को पूर्ण किया जा चुका है शेष 12 योजनाऐं स्थल विवादित एवं भूमि अतिक्रमित होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका है । विदित हो कि उक्त योजनाओं में ज्यादतर योजनाऐं छोटे–छोटे गलियों के कच्ची सड़कों को जोड़ कर एक योजना तैयार की गयी थी, जिसमें से अधिकांश गलियों के कच्ची पथों पर ईंट सोलिंग का कार्य करा दिया गया था । कुछ आंशक गलियों के कच्ची पथों में ईंट सोलिंग का कार्य नहीं होने के कारण योजना पूर्ण नहीं किया जा सका । परन्तु जितने स्थलों पर निर्माण कार्य कराया गया है उसका उपयोग वहां के स्थानीय नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है । अतएव परिषद के द्वारा कराया गया कार्य जन उपयोगी है । (सुलभ प्रसंग हेतु मदवार योजनाओं की अद्यतन विवरणी की मूल प्रति संलग्न की जा रही है)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | 11 | **अधिक भुगतान रू0– 5545.00** | योजना सं0– 6/2011–12 में अधिक भुगतान की गयी राशि मो0– 5545.00 रूपये की वसूली हेतु उक्त योजना के संवेदक मेसर्स डॉल्फिन कन्स्ट्रक्शन, उर्दू लाईब्रेरी रोड, मोतिहारी को राशि नगर परिषद कोष में जमा कराने हेतु पत्र निर्गत किया गया है अगर संवेदक के द्वारा राशि परिषद कोष में जमा नहीं करायी जाती है तो संवेदक के विरूद्ध राशि की वसूली हेतु निलाम पत्र वाद दायर कर दी जायेगी । (सुलभ प्रसंग हेतु कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 17 | 12 | **अधिक भुगतान** | योजना सं0– 15/2011–12 में अधिक भुगतान की गयी राशि मो0– 2000.00 रूपये की वसूली हेतु उक्त योजना के संवेदक अनुज कुमार, ढ़ाका रोड मठिया मोतिहारी को राशि नगर परिषद कोष में जमा कराने हेतु पत्र निर्गत किया गया है अगर संवेदक के द्वारा राशि परिषद कोष में जमा नहीं करायी जाती है तो संवेदक के विरूद्ध राशि की वसूली हेतु निलाम पत्र वाद दायर कर दी जायेगी । (सुलभ प्रसंग हेतु कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 18 | 13 | **पेनाल्टी की कटौती नहीं रू0– 4.95 लाख** | योजना सं0– 74/2010–11 एवं योजना सं0– 53/2011 का कार्य स्थल काफी संकिर्ण गली में होने के कारण एवं कई वर्ष पुराने जर्जर नाला को उड़ाही कर नाले के उपर आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य कराया जाना था । चुँकि कार्य स्थल काफी संकिर्ण एवं घना बस्ती में होने के कारण नाले की उड़ाही कराने तथा निर्माण सामाग्रियों को कार्य स्थल तक पहुँचाने में काफी अधिक समय लग रहा था जिसके कारण विलम्ब से कार्य पूर्ण हुआ जिसका अवलोकन कनीय अभियंता एवं सक्षम अभियंता के द्वारा नियमित रूप से किये जाने के उपरान्त संवेदक के द्वारा समय–समय पर अवधि विस्तार हेतु आवेदन–पत्र की प्रति कार्यालय में समर्पित किया गया था । संवेदक के द्वारा समर्पित की गयी समयावधि विस्तार के आवेदन–पत्र पर कनीय अभियंता का प्रतिवेदन सक्षम अभियंता का अनुमोदन एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गयी है । समय–समय पर स्वीकृत अवधि विस्तार के आलोक में इस कार्यालय के द्वारा उपरोक्त योजनाओं के विपत्रों से समयावधि की कटौती नहीं की गयी । योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत की गयी समयावधि की विवरणी नीचे निम्नवत् है :–<br>योजना सं0– 74/2010–11<br>1. प्रथम समयावधि की स्वीकृति की तिथि– 02.12.2011<br>2. द्वितीय समयावधि की स्वीकृति की तिथि– 02.02.2012<br><br>योजना सं0– 53/2010–11<br>1. प्रथम समयावधि की स्वीकृति की तिथि– 03.05.2011<br>2. द्वितीय समयावधि की स्वीकृति की तिथि– 03.06.2011<br>3. तृतीय समयावधि की स्वीकृति की तिथि– 03.09.2011<br>4. चतुर्थ समयावधि की स्वीकृति की तिथि– 03.12.2011<br>5. पंचम समयावधि की स्वीकृति की तिथि– 28.02.2012<br>उपरोक्त सभी स्वीकृत की गयी अवधि विस्तार पर नगर परिषद मोतिहारी का मोहर अंकित है तथा सभी अवधि विस्तार पर कनीय अभियंता, सक्षम अभियंता एवं कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है । (सुलभ प्रसंग हेतु योजना सं0– 74/10–11 एवे योजना सं0– 53/2011 में स्वीकृत की गयी समयावधि विस्तार की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | 14 | **संवेदक द्वारा विलम्ब से कार्यान्वयन– 0.79 लाख** | योजना सं0– 37/2009–10 का निर्माणाधीन स्थल का भूमि विवादित होने एवं अतिक्रमित होने के कारण कार्य काफी विलम्ब से प्रारम्भ की गयी थी । कार्य को प्रारम्भ करने से पहले संवेदक के द्वारा अवधि विस्तार हेतु आवेदन–पत्र की प्रति कार्यालय में समर्पित किया गया था । संवेदक के द्वारा समर्पित की गयी समयावधि विस्तार के आवेदन–पत्र पर कनीय अभियंता का प्रतिवेदन सक्षम अभियंता का अनुमोदन एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है । अवधि विस्तार के स्वीकृति के आलोक में इस कार्यालय के द्वारा उपरोक्त योजनाओं के विपत्रों से समयावधि की कटौती नहीं की गयी । (सुलभ प्रसंग हेतु स्वीकृत की गयी अवधि विस्तार की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 20 | 15 | **गुणवत्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना भुगतान रू0– 8.16 लाख** | अंकेक्षण दल के द्वारा किये गये आपत्ति एवं दिये गये सूझाव के आलोक में अविलम्ब सभी योजनाओं में गुणवता प्रमाण–पत्र लिया जाना प्रारम्भ कर दिया गया तथा गुणवता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त हीं योजनाओं के विपत्रों का भुगतान किया जाता है । (सुलभ प्रसंग हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में ली गयी आंशिक गुणवता प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 21 | ii | वैट की कम कटॉती रू0– 0.83 लाख | नगर परिषद मोतिहारी कार्यालय को बिहार गजट एवं वाणिज्यकर पदाधिकारी का अद्यतन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं होने के कारण योजनाओं के प्राक्कलन में 4 प्रतिशत विक्री कर का हीं प्रावधान किया गया था जिसके कारण योजनाओं के विपत्रों से विक्री कर की राशि में 1 प्रतिशत कम की राशि की कटौती की गयी थी । परन्तु अंकेक्षण दल के द्वारा किये गये आपत्ति एवं दिये गये सुझाव के आलोक में अविलम्ब योजनाओं के विपत्रों से विक्री कर की 5 प्रतिशत की राशि की कटौती किया जाना प्रारम्भ करा दिया गया था । (सुलभ प्रसंग हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजनाओं के विपत्रों से कटौती की गयी 5 प्रतिशत विक्री कर की राशि की सत्यापन हेतु आंशिक योजनाओं के कार्यालय टिप्पणी एवं मापी पुस्त की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 22 | 16 | **जिला योजना समिति से पारित नहीं रू0– 1.23 करोड़** | बी0आर0जी0एफ0 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि का आवंटन जिला परिषद मोतिहारी के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त होती थी प्राप्त आवंटित राशि से नगर परिषद बोर्ड के द्वारा दिये गये स्वीकृति के आलोक में 2011/12 एवं 2012–13 में योजनाओं का क्रियान्वयन कराया गया था । विदित हो कि नगर परिषद के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति नगर परिषद बोर्ड / सशक्त स्थायी समिति या सरकार के स्वीकृति के उपरान्त हीं करायी जाती है । कार्यान्वित की गयी योजनाओं का जिला योजना समिति (जिला परिषद) के द्वारा प्रति वर्ष भेजी गयी अंकेक्षण दल के द्वारा अंकेक्षण भी किया जाता है, तथा अंकेक्षण के दौरान हीं परिषद के द्वारा करायी गयी सभी योजनाओं का निरीक्षण भी किया जाता है । तदोपरान्त हीं अगली आवंटन की राशि इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाती थी । (सुलभ प्रसंग हेतु जिला योजना समिति (जिला परिषद) के अंकेक्षण दल के द्वारा उक्त अवधि में की गयी अंकेक्षण प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | 17 | **समायोजित अग्रिम रू0– 39.81 लाख** | परिषद के द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिला एवं पुरूषों के लाभार्थियों को प्रशिक्षण कार्य हेतु विभिन्न संस्थाओं को अग्रिम के रूप में मो0– 13,26,000.00 रूपये एवं परिषद के योजनाओं तथा विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु दी गयी अग्रिम राशि मो0– 25,09,052.00 रूपये कुल मो0– 39,83,052.00 रूपये में से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत कुल दी गयी अग्रिम राशि मो0– 13,26,000.00 रूपये का सामान्जन परिषद के द्वारा कर लिया गया है । परिषद के द्वारा क्रियान्वित एवं विभिन्न कार्यों हेतु दी गयी सभी अग्रिम राशियों का भी सामान्जन इस कार्यालय के द्वारा कर लिया गया है । (सुलभ प्रसंग हेतु स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना एवं परिषद के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं तथा विभिन्न कार्यों हेतु दी गयी अग्रिम राशि का सामान्जित की गयी आंशिक विपत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 24 | 18 | **होल्डिंग टैक्स की माँग व वसूली** | (1) कुल बकाया धृति कर की राशि मो0– 7,49,53,840.00 रूपये में से काफी बकाया राशि को इस कार्यालय के द्वारा वसूली कर लिया गया है । कुछ आंशिक बकायेदारों के द्वारा बकाया राशि परिषद कोष में जमा नहीं किये जाने उपरान्त इस कार्यालय के द्वारा उन बकायेदारों के उपर राशि की वसूली हेतु निलाम–पत्र वाद दायर कर दी गयी है । सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अवधि में वसूल की गयी बकाये राशि का आंशिक रसीद एवं दायर की गयी निलाम–पत्र वाद की सूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ।<br>(2) परिषद का धृतिकर का काफी अधिक राशि सरकारी भवनों पर भी बकाया है जिसमें से सरकारी भवनों से धृतिकर की बकाया राशि को वसूली नहीं किये जाने के उपरान्त इस कार्यालय के द्वारा माँगपत्र नोटिस सम्बन्धित सरकारी भवनों को भेजी गयी है । साथ हीं इसकी सूचना सरकार को भी भेजी गयी है । ताकि सरकार के स्तर से भी बकाये सरकारी भवनों की धृतिकर की राशि की वसूली कराने हेतु अपने स्तर से कार्रवाई किया जा सके । परिषद के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकारी भवनों पर धृतिकर की बकाये राशि की वसूली कर ली जाय । (सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अवधि की वसूल की गयी मकानों के धृतिकर तथा सरकारी भवनों से बकाये राशि का आंशिक रसीद एवं सरकार को भी अपने स्तर से बकाये राशि का भुगतान करने हेतु भेजी गयी अनुरोध पत्र तथा बकायेदारों पर दायर की गयी निलाम पत्र वाद की सूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 25 | 19 | **शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस का प्रेषण नहीं किया जाना रू0– 1.26 करोड़** | शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस की राशि यथाशीघ्र सरकार के खाते में जमा कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । राशि को जमा करा कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष जमा की गयी राशि की विवरणी एवं जमा की गयी चलान की प्रति प्रस्तुत कर दी जायेगी ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 26 | 20 | **योजना संचिका अप्रस्तुत** | योजना सं0– 1/2012–13 का संचिका इस कार्यालय को प्राप्त हो गयी है । जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत कर दी जायेगी ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 27 | 21 | **योजना संचिका अप्रस्तुत** | योजना सं0– 21/2012–13 का संचिका इस कार्यालय को प्राप्त हो गयी है । जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत कर दी जायेगी ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | 22 | **लॉगबुक की अप्रस्तुती** | परिषद में वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में कुल कार्यरत वाहनों की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है । अंकेक्षण दल के द्वारा किये गये आपत्ति एवं दिये गये सुझाव के आलोक में वाहनों का लॉगबुक विधिवत् रूप से संधारित की जा रही है जिसके अवलोकन हेतु अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी । (सुलभ प्रसंग हेतु वर्त्तमान में संधारित की जा रही आंशिक वाहनों के लॉगबुक की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 29 | 23 | **राशि का सावधि जमा** | (1) परिषद के द्वारा नगर परिषद निधि की राशि से हीं सावधि जमा की जा रही थी ।<br>(2) सावधि जमा का मुख्य उद्देश्य यही था कि नगर परिषद बोर्ड नगर परिषद के सेवानिवृत / मृत कर्मियों के पेंशन राशि का भुगतान करने हेतु कटीबद्ध थी कि सभी सेवानिवृत / मृत कर्मियों को नियमित रूप से उनके जीवन यापन हेतु पेंशन की राशि का भुगतान किया जा सके ।<br>(3) सावधि जमा बैंक द्वारा अधिकत्तम ब्याज प्राप्त करने के उद्देश्य से हीं किया गया था जिसमें वित्तीय वर्ष 2011–12 में किये गये 50 लाख रूपये को दस वर्षों एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 में किये गये 40 लाख रूपये को पाँच वर्षों के लिए सावधि जमा किया गया था । चुँकि जिस अवधि में सावधि जमा किया गया था उसमें परिषद को अधिक से अधिक ब्याज की राशि प्राप्त हो सके ।<br>(4) परिषद के पास सेवान्त लाभ या अन्य कोई देनदारी बकाया नहीं थी इसलिए वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले परिषद निधि की राशि का आकलन कर सावधि जमा कराया गया है । इसमें सरकार को कोई भी राशि का विनियोग नहीं किया गया है ।<br>(5) सावधि जमा बैंक ऑफ इण्डिया में इस लिए कराया गया था कि परिषद कर्मियों का वेतनादि खाता, भविष्यनिधि खाता उक्त शाखा में ही है । अगर भविष्य में कर्मियों को पेंशन दिया जाता है तो परिषद को कर्मियों के खाते में राशि हस्तांतरित करने में समस्या उत्पन्न ना हो सके । साथ हीं उक्त शाखा परिषद से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित है जिसे परिषद को बैंकिंग कार्यों के सम्पादन हेतु आने–जाने में किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न ना हो सके ।<br>परिषद के द्वारा उक्त सावधि जमा करने हेतु किसी भी प्रकार से निधि को अवरोधित नहीं किया गया है बल्कि परिषद के द्वारा जितनी राशि की सावधि जमा करायी गयी है उससे अधिक राशि ब्याज मद में प्राप्त कर ली गयी है । इस तरह परिषद को करोड़ों रूपये की लाभ हुयी है । (सुलभ प्रसंग हेतु जमा करायी गयी सावधि जमा की संचिका के कार्यालय टिप्पणी एवं सावधि जमा प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

# भाग– ii (TAN)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 1 | **वार्षिक लेखा का संधारण** | वार्षिक लेखा का संधारण कराया जा रहा है । अगले अंकेक्षण दल के समक्ष संधारित की जा रही वार्षिक लेखा को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 31 | 2 | **अनुदान** | अंकेक्षण दल के द्वारा किये गये आपत्ति एवं दिये गये सुझाव के आलोक में परिषद के द्वारा अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है । चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, एम0एस0डी0पी0 एवं बी0आर0जी0एफ0 की अव्यवहृत राशि का व्यय कर लिया गया है । अगले अंकेक्षण दल के समक्ष व्यय की गयी राशि की विवरणी प्रस्तुत कर दी जायेगी । (सुलभ प्रसंग हेतु संधारित की जा रही आंशिक अनुदान पंजी का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 32 | 3 | **सेवांत लाभ का भुगतान बकाया रहना** | नगर परिषद मोतिहारी कार्यालय में किसी भी सेवानिवृत कर्मी का बकाया उपार्जित अवकाश, उपादान एवं भविष्य निधि की राशि बकाया नहीं है । वर्त्तमान में परिषद में जो भी कर्मी सेवानिवृत या मृत होते हैं उनके बकाये सेवान्त लाभ की राशि का भुगतान उनके सेवानिवृति या मृत्यु के तिथि से दस दिनों के अन्दर नियमित रूप से कर दी जाती है । साथ हीं 01.04.2012 के प्रभाव से सेवानिवृत कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2016–17 से पेंशन राशि का भी भुगतान परिषद के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है । वर्त्तमान में सेवान्त लाभ तथा पेंशन राशि का भुगतान करने से सम्बन्धित किसी प्रकार का भी वाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है । (सुलभ प्रसंग हेतु भुगतान की जा रही आंशिक सेवांत लाभ एवं पेंशन की राशि का विपत्र का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 33 | 4 | **स्वीकृत बल से अधिक कर्मी कार्यरत रहना** | परिषद का सरकार के द्वारा स्वीकृत बल काफी वर्ष पहले की थी जिसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनकी आवश्यकता वर्त्तमान के समय में नहीं है तथा वर्त्तमान में कई ऐसे महत्वपूर्ण पद (जैसे सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आशु लिपिक, वाहनों के संचालन हेतु चालक, योजनाओं एवं भूमि के मापी हेतु चैन मैन इत्यादि) हैं, जिनके बीना वर्त्तमान समय में परिषद के कार्यों का क्रियान्वयन कराना सम्भव नहीं है । ऐसी परिस्थिति में कार्य के महत्व को देखते हुए परिषद बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में उक्त पदों पर संविदा पर रखकर कार्य करायी जा रही है । जिसके लिए सरकार को भी इस कार्यालय के द्वारा बार–बार पत्र लिखा गया था, जिसके आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0– 2503 दिनांक– 03.05.2018 एवं पत्र सं0– 3453 दिनांक– 29.06.2018 के द्वारा उपरोक्त पदों को समय की महत्व को देखते हुए सृजित किया गया है । परिषद के द्वारा 23 कर्मियों की नियुक्ति से सम्बन्धित दस्तावेज एवं उन कर्मियों को मानदेय के रूप में भुगतान की गयी राशि की विवरणी अगले अंकेक्षण दल समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी । (सुलभ प्रसंग हेतु सरकार के पत्रांक– 2503 दि0– 03.05.18 एवं पत्रांक– 3453 दि0– 29.06.18 के पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 5 | नक्शा | अंकेक्षण दल के द्वारा किये गये आपत्ति एवं दिये गये सुझाव के आलोक में इस कार्यालय के द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम– 2007 की धारा एवं बिल्डिंग बाई लॉज के अनुसार ही नक्शा को पारित किया जा रहा है । वर्त्तमान में वास्तुविदों के द्वारा कार्यालय में समर्पित की जा रही नक्शा को पुनः कनीय अभियंता, नगर परिषद मोतिहारी से जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए सभी आवश्यक कागजातों के साथ वृहत् अवलोकन करने के उपरान्त हीं नक्शा को विधिवत् रूप से पारित किया जाता है । (सुलभ प्रसंग हेतु वर्त्तमान में पारित की जा रही आंशिक नक्शा एवं कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 35 | 6 | विज्ञापन कर | इस कार्यालय के पत्रांक– 1429 दिनांक– 01.12.2010 के द्वारा एडकम एडभरटाईजिंग एण्ड सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, पटना को नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत हार्डिंग बोर्ड के रख–रखाव हेतु निर्गत कार्यालय आदेश तथा उक्त कार्य का क्रियान्वयन के लिए दिनांक– 16.12.2010 को उक्त एजेन्सी के साथ किये गये एकरारनामा के आलोक में उक्त एजेन्सी के द्वारा उपरोक्त कार्यों का क्रियान्वयन की जा रही थी । जिसमें उक्त एजेन्सी को विज्ञापन लगाने तथा अपने खर्च पर परिषद क्षेत्रान्तर्गत सौन्दीकरण कार्य भी किया जाना था । परन्तु उक्त संस्था के द्वारा कार्यों का निर्वाहन सही ढ़ंग से नहीं करने एवं समय पर राजस्व की राशि परिषद कोष में जमा नहीं कराने के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक– 277 दिनांक– 16.02.2015 को उक्त संस्था के साथ किये गये एकरारनामा को रद्द कर दिया गया, तथा बकाये राजस्व की राशि परिषद कोष में जमा कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक– 1809 दि0– 14.11.14, पत्रांक– 277 दि0– 16.02.15 एवं पत्रांक– 1180 दि0– 27.04.17 के द्वारा कई बार पत्र निर्गत किया गया था । जिसके आलोक में उक्त एजेन्सी के द्वारा परिषद कोष में एकरानामा की तिथि से लेकर अबतक कुल मो0– 2,25,000.00 रूपये जमा कराया गया है । परन्तु अभी भी उक्त एजेन्सी के पास लगभग मो0– 1,82,500.00 रूपये बकाया है । बकाया राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित एजेन्सी पर निलाम पत्र वाद दायर करने की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।<br>विदित हो कि परिषद क्षेत्र में विज्ञापन शुल्क की वसूली में ज्यादा से ज्यादा राशि की बढ़ोतरी हो इसी संदर्भ में सशक्त स्थायी समिति की बैठक के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विज्ञापन शुल्क की वसूली को भी सैरातों की सूची में जोड़ कर प्रति वर्ष खुला डाक कराया जाय । सशक्त स्थायी समिति के द्वारा लिए निर्णय के आलोक में परिषद के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में विज्ञापन शुल्क की वसूली हेतु खुला डाक आमंत्रित किया गया । जिसमें उच्चतम डाकवक्ता श्री साई ऐड एजेन्सी, ज्ञानबाबू चौक मोतिहारी के कुल डाक की राशि मो0– 5,56,000.00 रूपये में विज्ञापन शुल्क का वसूली हेतु कार्यालय आदेश निर्गत किया गया है । परिषद के द्वारा वर्त्तमान में पूरी प्रयास की जा रही है कि प्रति वर्ष विज्ञापन शुल्क की राशि में अधिक से अधिक राशि की बढ़ोतरी हो पाये । (सुलभ प्रसंग हेतु पत्रांक– 1429 दि0– 01.12.10, एकरारनामा दि0– 16.12.10, एजेन्सी का पत्रांक– 50 दि0– 28.12.11, इस कार्यालय का पत्रांक– 1809 दि0– 14.11.14, पत्रांक– 277 दि0– 16.02.15, पत्रांक– 1180 दि0– 27.04.17 उक्त एजेन्सी के द्वारा जमा की गयी राशि की विवरणी, बन्दोबस्ती आमंत्रण सूचना के ज्ञापांक– 729 दि0– 27.02.18 एवं ज्ञापांक– 1481 दि0– 27.04.18 का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | 7 | **अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति** | 1. परिषद में दिन प्रतिदिन हो रहे सेवानिवृति एवं प्रतिदिन बढ़ रहे नये–नये कार्यों के क्रियान्वयन हेतु परिषद को अनुबंध पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने की आवश्यकता महसूस हुयी । कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए परिषद के द्वारा अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति की गयी थी ।<br>2. अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति विधिवत् रूप से परिषद बोर्ड के बैठक के द्वारा दिये गये स्वीकृति के आलोक में दैनिक समाचार पत्रों में अनुबंध पर नियुक्ति सम्बन्धि विज्ञापन का प्रकाशन कराते हुए लाभार्थियों का आवेदन–पत्र को प्राप्त कर प्राप्त आवेदन–पत्रों के आधार पर मेंघा सूची तैयार कराते हुए मेघा सूची के अनुसार योग्य व्यक्तियों का हीं अनुबंध पर नियुक्ति किया गया था ।<br>3. सभी अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति 11 माह के लिए किया गया था । जिसका अवधि समाप्त होने के उपरान्त पुनः बोर्ड / सशक्त स्थायी समिति से अवधि विस्तार का अनुमोदन प्राप्त कर अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जाती है ।<br>अनुबंध कर्मियों की अनुबंध पर की गयी नियुक्ति प्रक्रिया से सम्बन्धित दस्तावेज अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 37 | 8 | **हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा** | अंकेक्षण दल के द्वारा किये गये आपत्ति एवं दिये गये सुझाव के आलोक में सभी तृतीय वर्गीय कर्मियों का हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परिक्षा उतिर्ण नहीं होने के कारण उनके वेतन वृद्धि को तत्काल प्रभाव से तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा रोक लगा दी गयी थी । जिसके उपरान्त परिषद के अधिकांश तृतीय वर्गीय कर्मियों के द्वारा हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा में भाग लेकर परिक्षा में उतीर्ण होने के उपरान्त हीं उनके वेतन वृद्धि में वृद्धि की गयी है । (सुलभ प्रसंग हेतु तृतीय वर्ग के कर्मियों के द्वारा उक्त परिक्षा में उतीर्ण होने के उपरान्त सेवा पुस्त में दर्ज की गयी परीक्षा की विवरणी की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 38 | 9 | **होल्डिंग टैक्स रसीद पुस्तिका की अप्रस्तुती** | नवलकिशोर प्रसाद, कर संग्राहक के धृतिकर रसीद सं0– 9501–9600, 11301–11400, 13801–13900 एवं 15401–15500 का चोरी हो गयी थी जिसकी प्राथमिकी नगर थाना मोतिहारी में दर्ज किया गया था जिसकी दर्ज प्राथमिकी की प्रति एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना की प्रति अंकेक्षण दल के समक्ष अंकेक्षण के दौरान हीं प्रस्तुत कर दिया गया था । (सुलभ प्रसंग हेतु पुनः दर्ज प्राथमिकी एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | 10 | सामान्य अभियुक्ति | परिषद के द्वारा वार्षिक लेखा का संधारण करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । साथ ही मुल्यांकन पंजी एवं परिसम्मपति पंजी का संधारण कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी । परिषद के द्वारा नियमित रूप से अपने आय श्रोतों को बढ़ाने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ताकि परिषद को अपने आय श्रोतों में अधिक से अधिक बढ़ोतरी कर सके जिसके लिए परिषद के द्वारा कई अन्य नये श्रोतों को भी अपने आय श्रोतों में जोड़ा गया है । जिसकी विवरणी अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

29/01/19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद मोतिहारी